उनवानः–गब्दू बनाम रामजीलाल

मु0न0 – 05 / 2021

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजू:– 23.07.2021

मु0न0 05 / 21

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. गब्दू पुत्र रामरतन
2. कल्ली पत्नि रामरतन
3. सवाईसिंह पुत्र रामरतन

समस्त जातियान मीना निवासी माचडी तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थी)

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र लल्लू
2. रामकुमार पुत्र लल्लू
3. शिवकेश पुत्र रामकुमार
4. दिनेश पुत्र रामकुमार
5. रामकेश पुत्र रामजीलाल
6. मुन्नाराम पुत्र रामजीलाल
7. मुंशी पुत्र रामजीलाल

समस्त जातियान मीना निवासी माचडी तहसील टोडाभीम।

(अप्रार्थीगण)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी

उपस्थिति :– श्री कृष्ण कुमार मित्तल (प्रार्थीगण)
श्री सुरेश चन्द शर्मा (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांकः– 28.06.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थर गढी का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माचडी स्थित आराजी ख0न0 578 रकवा 0.16 है0 हम प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिससे अप्रार्थीगण व अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। इस भूमि के संबध मे अप्रार्थीगण से भूमि की सीमा के संबध मे विवाद होने के कारण तहसीलदारजी टोडाभीम के निर्देशानुसार दिनांक 05.07.2021को गिरदावर व पटवारी हल्का ने उपस्थित होकर व ग्रामवासीयो के सामने नियमानुसार सीमांकन किया तथा फर्द मौका तैयार किया है।

यह है कि अप्रार्थीगण सीमाकंन की पालना नही कर विवाद उत्पन्न करते है, इसलिये अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु प्रार्थीगण इस भूमि ख0न0 575 रकवा 0.16 है0 की पत्थर गढी करवाना चाहते है। पत्थरगढी का खर्चा स्वंय प्रार्थीगण करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदारजी टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि वे मौके पर पहुच कर भूमि ख0न0 576 [illegible] है0 स्थित ग्राम माचडी तहसील टोडाभीम की पत्थर गढी करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण वकील ने जरिये वकालतन जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण ने जिस पर प्रार्थना पत्र पेश किया है वह गलत व मनगढंत है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गैरसायलान की आराजी का कुछ हिस्सा सायलान की आराजी ख0न0 578 मे मिलाकर नवीन सीट को साबिक शीट से भिन्न कर दिया जिसकी दुरूस्ती हेतु गैरसायलान द्वारा सायलान के खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:23 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)

एक मुकदमा उनवानी रामकुवार बनाम गब्दू सम्माननीय अदालत मे पेश कर रखा है उपरोक्तानुसार सीमाज्ञान कभी नही हुआ है सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा मौजूदा सीट मे की गई गलती को दुरूस्त किये बिना पत्थर गढी जो पाना संभव नही है सायलान का आराजी विवादग्रस्त पर कब्जा नही है।

यह है कि आराजी ख0न0 420/1 रकवा 0.12 है0 तथा ख0न0 420/2 रकवा 0.12 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 है0 गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है उक्त आराजी को भू—प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो द्वारा दौराने भू—प्रबन्ध साबिक ख0न0 531 रकवा 1 बीधा 16 बिस्वा 530 मिन रकवा 1 बिस्वा तथा 532 मिन रकवा 1 बिस्वा से तरमीम करके अंकित किया है। जो कि साबिक सीट से भली प्रकार साबित है।

यह है कि ख0न0 577 रकवा 0.42 है0, 578 रकवा 0.06 है0 साबिक ख0न0 672 मिन रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा से बना कर अंकित किया है। जो सायलान 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। साबिक ख0न0 के मुताबिक नवीन खसरा नम्बरान मे रकवा तो सही कर दिया लेकिन नक्शा सीट मे भिन्नता कर दी जिसका सायलान बेजा फायदा उठाकर सायलान गैरसायलान की आरजी पर कब्जा करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है।

उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम माचडी स्थित आराजी ख0न0 578 रकवा 0.16 है0 हम प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिससे अप्रार्थीगण व अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। इस भूमि के संबध मे अप्रार्थीगण से भूमि की सीमा के संबध मे विवाद होने के कारण तहसीलदारजी टोडाभीम के निर्देशानुसार दिनांक 05.07.2021 को गिरदावर व पटवारी हल्का ने उपस्थित होकर व ग्रामवासीयो के सामने नियमानुसार सीमांकन किया तथा फर्द मौका तैयार किया है। अप्रार्थीगण सीमाकंन की पालना नही कर विवाद उत्पन्न करते है, इसलिये अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु प्रार्थीगण इस भूमि ख0न0 575 रकवा 0.16 है0 की पत्थर गढी मुताबिक सीमाज्ञान पुलिस इमदाद मे करवाई जावे।

अप्रार्थी वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने गैरसायलान की आराजी का कुछ हिस्सा सायलान की आराजी ख0न0 578 मे मिलाकर नवीन सीट को साबिक शीट से भिन्न कर दिया जिसकी दुरूस्ती हेतु गैरसायलान द्वारा सायलान के खिलाफ एक मुकदमा उनवानी रामकुवार बनाम गब्दू सम्माननीय अदालत मे पेश कर रखा है उपरोक्तानुसार सीमाज्ञान कभी नही हुआ है सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा मौजूदा सीट मे की गई गलती को दुरूस्त किये बिना पत्थर गढी जो पाना संभव नही है सायलान का आराजी विवादग्रस्त पर कब्जा नही है।

यह है कि आराजी ख0न0 420/1 रकवा 0.12 है0 तथा ख0न0 420/2 रकवा 0.12 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 है0 गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है उक्त आराजी को भू—प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो द्वारा दौराने भू—प्रबन्ध साबिक ख0न0 531 रकवा 1 बीधा 16 बिस्वा 530 मिन रकवा 1 बिस्वा तथा 532 मिन रकवा 1 बिस्वा से तरमीम करके अंकित किया है। जो कि साबिक सीट से भली प्रकार साबित है।

यह है कि ख0न0 577 रकवा 0.42 है0, 578 रकवा 0.06 है0 साबिक ख0न0 672 मिन रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा से बना कर अंकित किया है। जो सायलान 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। साबिक ख0न0 के मुताबिक नवीन खसरा नम्बरान मे रकवा तो सही कर दिया लेकिन नक्शा सीट मे भिन्नता कर दी जिसका सायलान बेजा फायदा उठाकर सायलान गैरसायलान की आरजी पर कब्जा करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही होने से खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:23 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे शामिल फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मे ख0न0 578 रकवा 0.16 है0 मे प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.07.2021 का अवलोकन किया जिसमे ग्राम ग्राम माचडी की आराजी ख0न0 578 रकवा 0.16 है0 का सीमाज्ञान राजस्व कार्मिको की टीम के द्वारा आवेदक (प्रार्थी) की उपस्थिति मे सीमाज्ञान किया गया है। चुकि उक्त खसरा नम्बरान का प्रार्थीगण को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा मुताबिक सीमाज्ञान ही प्रार्थीगण पत्थर गढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब व बहस मे कथन किया है कि सायलान के विरूद्व नक्शा ट्रेस दुरूस्ती का दावा पेश किया हुआ है इसलिये सायलान की आराजी ख0न0 578 रकवा 0.16 है0 की पत्थरगढी किया जाना गलत है। इस पर सायलान का वादपत्र के निर्णय हो जाने पर गैरसायलान पुनः पत्थर गढी का प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थर गढी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2024 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थर गढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा किये जाने पर ग्राम माचडी की आराजी ख0न0 578 रकवा 0.16 है0 की पत्थर गढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.07.2021 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी टोडाभीम से आवश्यक पुलिस इमदाद लेकर पत्थर गढी करवाये। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

कार्यालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:23 IST
Reason: SelfAttested